न्यायालय परगनाधिकारी चान्दपुर

वाद सं०- 14/09 — धारा-143 ज० वि० अधि०

मौजा-फूना — परगना-बूड़पुर

अशोक कुमार — बनाम — सरकार

नकल निर्णय दि० 10-6-09

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री अशोक कुमार पुत्र हरिपाल शास्त्री नि०-फूना परगना-बूड़पुर तहसील-चान्दपुर जिला बिजनौर सचिव श्री हरिपाल शास्त्री एजूकेशन एवं सोशल डेवलपमैन्ट ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-143 ज० वि० अधि० पर तहसीलदार चान्दपुर की आख्या दिनांक 18-04-09 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामिल मिसल है।

प्रस्तुत वाद मे प्रभारी राजस्व निरीक्षक फूना द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 09-04-09 मे उल्लिखित है कि ग्राम फूना की खतौनी वर्ष 1413 से 1418 फ० के खाता सं० 763 खसरा सं० 286 रकबा 0-051 हे०, 288-रकबा 0-051 हे० लगान 4-45-रू० पर श्री हरिपाल शास्त्री एजूकेशनल एवं सोशल डवलेपमैन्ट ट्रस्ट एस०बी०51 शास्त्री नगर गाजियाबाद द्वारा द्वारा चैयरमैन मनोज कुमार पुत्र महाराज सिंह नि०-एस०बी०-51 शास्त्री नगर गाजियाबाद एवं वाईस चैयरमैन गजेन्द्र पाल सिंह पुत्र बलराज सिंह नि०-बूडगरा परगना कीरतपुर तहसील-नजीबाबाद एवं सेक्रेटरी अशोक कुमार पुत्र श्री हरिपाल शास्त्री नि०-फूना एवं ट्रेजरार राजीव कुमार पुत्र महाराज सिंह नि०-एस०बी०-51 शास्त्रीनगर गाजियाबाद व खाता सं० 5 गाटा सं०-287 मि० रकबई 1-050 हे० लगान 42-50 रू० पर श्री हरिपाल शास्त्री एजूकेशन आदि उपरोक्त के नाम श्रेणी-1 क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है तथा मौके पर काबिज है। प्रश्नगत आराजी पर कृषि कार्य नही हो रहा है। एवं उक्त आराजी पर कृषि सम्बन्धि अन्य प्रयोजनो जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, आदि के प्रयोग मे नही आ रही है। स्थल पर विधालय का निर्माण कार्य चल रहा है। अत: ग्राम -फूना मे स्थित गाटा सं० 286 रकबा 0-051 हे०, 288 रकबा 0-051 हे० तथा गाटा सं० 287 मि० रकबई 1-050 हे० भूमि को धारा-143 ज० वि० अधि० के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित रिपोर्ट सेवा मे प्रेषित है। प्रभारी राजस्व निरीक्षक की उक्त आख्या तहसीलदार चान्दपुर द्वारा दिनांक 18-4-09 को संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मैने पत्रावली का भलि-भांति अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी मधु मक्खी पालन आदि का कार्य नही किया जा रहा है बल्कि विधालय का निर्माण किया जा रहा है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय तहसीलदार चान्दपुर की आख्या दिनांक 18-4-09 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-143 ज० वि० अधि० मय तहसीलदार चान्दपुर की आख्या दिनांक 18-4-0 स्वीकार किया जाता है। अत: मौजा-फूना परगना-बूड़पुर के खतौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के गाटा सं० 286 रकबा 0-051 हे० व गाटा सं० 288 रकबा 0-051 हे० लगान 4-45 रू० व गाटा सं० 287 मि० रकबा 1-050 हे० लगान 42-50 रू० से मुक्त करते हुए ज० वि० अधि० की धारा-143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति सबरजिस्ट्रार चान्दपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा० दफ्तर हो।

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय मे उद्घोषित किया गया ।

दिनांक:- 10/6/09

{रामसेवक द्विवेदी}
परगनाधिकारी चान्दपुर ।

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA
5 Rs. COURT FEE भारत INDIA
1 Re. COURT FEE
1 Re. COURT FEE भारत INDIA
1 Re. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

[illegible] ... 907
[illegible] ... हिमांशु कुमार एड.
[illegible] ... 08/7/09
[illegible] ... 09/7/09
[illegible] ... 09/7/09
[illegible] ... 400
[illegible] ... 12-50

तहसीलदार
चान्दपुर (बिजनौर)

प्रति = 5
Rs. 13-00